न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 28/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/31)

योगेन्द्र सिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन गंगासिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. हरदेवाराम पुत्र जुगलाल जाति जाट साकिन गंगासिहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमागनगढ।

   – असल रेस्पोडेन्ट

2. सुरजीत सिह पुत्र जुगलाल जाति जाट साकिन गंगासिहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. संदीप पुत्र शिशपाल जाति जाट साकिन गंगासिहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. राजाराम पुत्र दाताराम जाति जाट साकिन गंगासिहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. तारावती पत्नि मानसिह जाति जाट साकिन गंगासिहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6. रामेती पत्नि शोभाराम पुत्र किशनलाल जाति जाट साकिन गंगासिहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
7. विनोद पुत्र शोभाराम जाति जाट साकिन गंगासिहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. सुरेश पुत्र शोभाराम जाति जाट साकिन गंगासिहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
9. विजय लक्ष्मी पत्नि राजेन्द्र सिह पुत्र किशनलाल जाति जाट साकिन गंगासिहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
10. अभिमन्यु पुत्र राजेन्द्र सिह जाति जाट साकिन गंगासिहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
11. नंदकिशोर पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन गंगासिहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
12. महान सिह पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन गंगासिहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
13. सरोज पत्नि हुक्म सिंह जाति जाट साकिन गंगासिहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
14. धर्मवीर पुत्र हुक्म सिंह जाति जाट साकिन गंगासिहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
15. अरविन्द कुमार पुत्र हुक्म सिह जाति जाट साकिन गंगासिहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

रेस्पोडेंट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री विनोद कुमार पुरोहित –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. श्री सुरेन्द्र कुमार सहू –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
4. श्री करण सिंह तंवर –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15
5. श्री लक्ष्मीनारायण सिहाग –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 11

निर्णय दिनांकः 28.07.2025

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ) के प्रकरण संख्या 02 / 2023 निर्णय दिनांक 19.10.2023 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर में तहसीलदार भादरा के इन्तकाल संख्या 25 दिनांक 12.09.77 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर उक्त इन्तकाल को निरस्त करने का निवेदन किया। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.10.2023 द्वारा अपील खारिज कर दी। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.10.2023 व इन्तकाल संख्या 25 दिनांक 12.09.1977 को निरस्त कर तहसीलदार भादरा को मृतक के जायज वारिसान की जांच कर पुनः आदेश पारित करने का आदेश देने का अनुतोष चाहा गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट सं 2 ता 4 एवं 9, 10 के निमित साधारण नोटिस / रजिस्ट्र्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नही हुवे। इनके विरूद्ध एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अपीलांट के अभिभाषक ने दिनांक 18.06.2025 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपील में वर्णित भूमि का बैयनामा हो चुका है। बैयनामा अपीलान्ट की पत्नी व अन्य अपीलान्ट से संबंधित व्यक्तियो के पक्ष मे हो चुका है। अतः उक्त अपील का बैयनामें के आधार पर निस्तारण किये जाने की कृपा करे। उक्त अपील में अनुतोष अब अपीलान्ट का नही रहा है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन/ विश्लेषण किया। अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन भूमि का बैयनामा अपीलान्ट की पत्नी एवं अन्य अपीलान्ट से संबधित व्यक्तियो के पक्ष में हो चुका है। जिससे अपीलान्ट का अनुतोष इस अपील में नही रहा है। उक्त भूमि का बैयनामा अपीलान्ट की पत्नी एवं अन्य संबधित व्यक्तियो के पक्ष में होने से उक्त अपील सारहीन हो चुकी है। अतः अपील सारहीन होने के कारण अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर
सत्यमेव जयते
बीकानेर